संख्या-183/2015/1021/22-4-15-107(ब)/12टी0सी0

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-15 सितम्बर,2015

विषय- प्रदेश के कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु सीसीटीवी इकाईयों की स्थापना के लिए प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-31049/आधु0-1/सीसीटीवी/14, दिनांक-31 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की 20 कारागारों क्रमश: जिला कारागार, मैनपुरी, मथुरा, एटा, झांसी, बदायूँ, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, खीरी, फतेहगढ़, सहारनपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बाँदा, तथा गोरखपुर में सीसीटीवी सर्विलांस इकाईयों की स्थापना हेतु उ0प्र0 अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है तथा संलग्न विशिष्टियों के अनुसार कार्य कराने के लिए रू0 417.40 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 4,17,40,000/-(रूपया चार करोड़ सत्रह लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिक्ताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की लागत का निर्धारण टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा, किन्तु लागत की अधिकतम सीमा रू0 417.40 लाख होगी।

(ग) अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(घ) स्वीकृत उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड) उपकरणों का क्रय करते समय क्रय संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(च) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(छ) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(ज) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

2- इस निमित्त होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र" मद में उपलब्ध बजट प्राविधानों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च,2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-183/2015/1021(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) प्रबंध निदेशक,उ0प्र0 पावरट्रानिक्स लि0, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

S.No.	SPECIFICATION	APPROX. QTY.	RATE	AMOUNT
1	1080P IP PTZ,30X, H.264 High-profile, TDN, WDR, HLC, wall mounting bracket, Edge storage32G, ONVIF profile S, PoE, IP66, Vandal-proof IK10, AC24V	49	135000.00	6615000.00
2	720P IP Weather-proof IR Bullet Camera,30-40m IR distance, 2.8-12mm, H.264,TDN, WDR, ONVIF profile S,Edge storage 32G, Tampering Detection, IP66, PoE, 24VAC/12VDC	109	27087.00	2952483.00
3	108P IP IR Domecamera, 1/3" progressive scan Exmor CMOS, 3.6 mm, 20m IR distance, IP66, H.264, TDN, ONVIF Profile S, PoE, 12VDC	278	23200.00	6449600.00
4	Network Video Management Server	20	205000.00	4100000.00
5	Desktop Dual Core with 18.5" LED display	20	42500.00	850000.00
6	55" Full HD Display Unit	20	135000.00	2700000.00
7	40" Full HD Display Unit	20	45000.00	900000.00
8	2 KVA UPS with 60 Minute Backup	20	58500.00	1170000.00
9	800 VA UPS	60	5800.00	348000.00
10	Remote Wi-Fi Acess point with high gain Directional Antenna	40	36000.00	1440000.00
11	Central Wi-Fi Access Point with option of 2.4 GHz/ 5GHz	20	36000.00	720000.00
12	Video Spliter	20	38500.00	770000.00
13	24 port Giga L3 poe+switch	20	110000.00	2200000.00
14	PoE Switch 8 port or higher	60	28000.00	1680000.00
15	Surge Protector	30	1800.00	54000.00
16	CAT-6 UTP cable(305 Mtrs Box)	100	6428.00	642800.00
17	Cat-6 Information Outlet Key Stone	500	200.00	100000.00
18	Supply & Fixing of single port information outlet face plate Make TE Connectivity and SMB	500	120.00	60000.00
19	12 port cat-6 jack panel	60	4200.00	252000.00
20	24 port cat-6 jack panel	20	5800.00	116000.00
21	Cat-6 Patch Cord 1 Mtr	500	200.00	100000.00
22	Cat-6 Patch Cord 3 Mtr	500	300.00	150000.00
23	6 Core SMF Cable armored cable	10000	40.00	400000.00
24	12 Port Fiber Optic LIU	60	12000.00	720000.00
25	24 Port Fiber Optic LIU	20	17000.00	340000.00
26	LC/SC Fiber Patch Cord 2 Mtr. Single mode	120	1700.00	204000.00
27	1" HDPE Pipe	9800	50-00	490000.00
28	PVC Conduit Pipe	30000	30.00	900000.00
29	12 U Wall Mount Rack	60	6200.00	372000.00
30	24 U Floor Standing Rack	20	21500.00	430000.00
31	3 Core Electric Cable	12000	65.00	780000.00
32	32 AMP MCB	60	250.00	15000.00
33	Supply and Installation of MS mast	20	12500.00	250000.00
34	Foundation for Mast Installation	20	5000.00	100000.00
35	Control Room Setup	20	32000.00	640000.00
36	Installation, Commissioning & Support	20	95000.00	1900000.00
			Total Amount	**41910883.00**

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in